न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठीसीन अधिकारी | अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
01/2018	2018/00061	20.06.2018	26.03.2021

श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:- अपीलान्ट

-: बनाम :-

1- स्व.श्री पन्नालाल पिता बाबुलाल टांक निवासी राजपुरा के वारिसान
1(1) - श्री लोकेश टांक पुत्र स्व. श्री पन्ना लाल टांक
1(2) - सुश्री भारती पुत्री स्व. श्री पन्ना लाल टांक
1(3) - सुश्री पुजा टांक पुत्री स्व. श्री पन्ना लाल टांक :- रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :-
1. श्री पैरोकार सरकार प्रार्थी
2. एकतरफा विपक्षी

-: आदेश :- दिनांक 26.03.2021

उपरोक्त उनवान के प्रकरण में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत् प्राप्त हुआ जिसकी जांच पटवार हल्का कालाकोट कराई गई जो आवंटन नियमानुसार है :-

1. यह कि ग्राम राजपुराखालसा ग्राम पंचायत कालाकोट में आराजी नं. 498 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि मिसल नं. 524/1989 में पन्नालाल पिता बाबुलाल टांक निवासी राजपुरा के नाम आंवटन हुई थी। आवंटन भूमि पर आंवटित का कब्जा आवंटन से आज तक नहीं है।
2. यह कि आंवटी पन्नालाल टांक की 2001-2002 में मृत्यु के पश्चात उक्त आंवटित भूमि का विरासत का ना.सं. 178 से वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई जो अभी तक गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, किन्तु मौके पर उक्त भूमि आज भी पड़त स्थिति में है।

382

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

3. यह कि आवंटी व आवंटी के वारिसानों द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है।
4. यह कि ग्राम राजपुराखालसा तहसील छोटीसादड़ी का राजस्व ग्राम है जो श्रीमान श्रैत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई श्रीमान के श्रवणाधिकार में है।
5. यह कि रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में आवंटित भूमि से सम्बन्धित प्रतिलिपियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट के नाम ग्राम राजपुराखालसा की आराजी नं. 498 रकबा 0.02 हैक्टेयर आवंटी के नाम गैर खातेदारी भूमि रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज कराने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी वर्तमान गैर खातेदारान को सूचना पत्र जारी किए गए किन्तु उक्त पक्षकारान का ग्राम में निवासरत नहीं होना तथा समूचित स्थाई पते के अभाव में वर्तमान तक तामील अपूर्ण रही है। किन्तु प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 में विहित प्रावधानों अनुसार किसी आवंटी के आवंटित भूमि पर आवंटन से लगातार कब्जा नहीं होना तथा मौकें पर भूमि का पड़त होना तथा आवंटियों के उक्त ग्राम में निवासरत नहीं हो कब्जा काश्त के अभाव में राजकीय भूमि रकबा अकारण गैरखातेदारी में दर्ज रखा जाना अनुचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार छोटीसादड़ी अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम राजपुरा खालसा की आराजी संख्या 498 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि को राजसात करने हेतु आवंटन आदेश मिशल संख्या 524/1989 दिनांक 04.11.1989 एवं दर्ज नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 28.02.1990 को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को सरे ईजलास सुनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner